पंचायत निगरानी संख्या : 23/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बारवा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 23/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/29

प्रार्थी :–

विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत बारवा पंचायत समिति बाली
2. अनुराधा पत्नी प्रधुम्न कुमार जाति कुम्हार निवासी बारवा तह. बाली
3. तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बारवा मांगीलाल पुत्र भूरसिंह राजपुरोहित

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत बारवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 05.11.2014 क्षेत्रफल 1250 वर्गफूट को निरस्त करवाने बाबत्।

–:निर्णय:–

दिनांकः 12.05.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत बारवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 05.11.2014 क्षेत्रफल 1250 वर्गफूट** जारी किया गया जिसको निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई।

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्नांकित अनियमितताओं के कारण प्रस्तुत की गई:–

1. यह कि, अप्रार्थी संख्या दो को सरपंच ग्राम पंचायत बारवा के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158(2क) के तहत पट्टा संख्या 34 दिनांक 05.11.2014 क्षेत्रफल 1250 वर्गफूट का जारी किया गया है। जिसमें निम्न प्रकार की अनियमिताएं बरती गई।

(क) अप्रार्थी संख्या तीन ने अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा नियम विरुद्ध जारी किया है, जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है।

(ख) वर्तमान सरपंच द्वारा की गई शिकायत पर पंचायत प्रसार अधिकारियों की संयुक्त कमेटी ने जांच कर अपने जांच प्रतिवेदन में बताया है कि अप्रार्थी संख्या तीन ने अप्रार्थी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner

पंचायत निगरानी संख्या : 23/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बारवा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 से नियम 160 की पालना/प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। जो निरस्त योग्य है।

(ग) पंचायतीराज नियम 1996 के नियम (158 (2क) में प्रार्थी के पास आवास हेतु भुमि नहीं होने पर ग्राम पंचायत में रियायत दर पर आवेदन करने पर एवं ग्राम पंचायत के पास आबादी भूमि उपलब्ध होने पर प्रार्थी के आर्थिक स्थिति व पात्रता की जांच कर उक्त नियम में आबादी की संख्या अनुसार राशि लेकर अधिकतम 2700 वर्गफीट तक का भूखण्ड जारी किया जा सकता है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 के पास पूर्व में ही रहवासीय मकान है। इसलिए जारी पट्टा गलत है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत बारवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 05.11.2014 क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट की वैद्धता, शुद्धता एवं मौलिकता के संबंध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित किया गया।

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार एवं अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या दो बावजुद सम्यक तामीली के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। पत्रावली में प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड पूर्व में ही प्राप्त। अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

प्रार्थी पक्ष की ओर से बहस के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने वाली पंचायत एवं सरपंच का कार्यकाल पूर्व में ही समाप्त हो चुका है। तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी अनेक पट्टो के संबंध में एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा जाँच में अधिकांश पट्टों को विधिविरुद्ध पाया है। अतः न्यायालय हाजा हस्तगत निगरानी में चुनौति दिए गए पट्टे के संबंध में उचित वैधानिक परीक्षण कर सम्यक् आदेश पारित करे।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन ने पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली में विचाराधीन रहने एवं न्यायालय हाजा को स्थानान्तरित होने से पूर्व पत्रावली में उनकी ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत निगरानी जिस तीन सदस्यीय जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत की गई है, उक्त जाँच रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 23/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बारवा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अस्पष्ट एवं अपूर्ण है क्यों कि उक्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट ही नहीं किया गया है कि कौनसा पट्टा अवैधानिक है। यह भी, कि पट्टे गोचर अथवा सिवायचक भूमि मे नहीं, अपितु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 एवं धारा 102 के अन्तर्गत आबादी हेतु दिनांक 24.12.2010 को आवंटित भूमि में जारी किए गए है। अतः अस्पष्ट एवं अपूर्ण आधारों पर विकास अधिकारी बाली द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाए।

पत्रावली एवं प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विकास अधिकारी ने ज़ैर निगरानी पट्टे को इस आधार पर चुनौति दी है कि पट्टाधारी के पास पूर्व में ही आवासीय मकान होते हुए भी नियम 158 के अन्तर्गत रियायती दर का पट्टा जारी किया गया है, जो कि पात्रता की शर्तो का उल्लंघन है। यद्यपि निगरानीकर्ता ने उपरोक्त तर्क की पुष्टि में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। विकास अधिकारी ने ज़ैर निगरानी पट्टे को इस आधार पर भी चुनौति दी है कि संयुक्त जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत बारवा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा देने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 की पालना/प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड में ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टे से संबंधित मिसल 321/2014–15 प्रेषित नहीं की गई है बल्कि पट्टा बुक संख्या 94 एवं संबंधित बैठक कार्यवाही रजिस्टर ही प्रेषित किया गया है। ज़ैर आलोच्य पट्टा संख्या 34 दिनांक 05.11.2014 पर प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.11.2014 अंकित है, जिसके अनुक्रम में नियम 158 के अन्तर्गत उक्त पट्टा जारी किया गया है। अतः बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 05.11.2014 एवं प्रस्ताव संख्या 02 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.11.2014 में आलोच्य पट्टा मिसल संख्या 321/2014–15 के संबंध में स्वीकृति का कोई अंकन नहीं पाया गया।

साथ ही, मिसल संख्या 321/2014–15 वर्ष 2014–15 में दर्ज है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में वर्ष 2014 की समस्त बैठको का कार्यवाही विवरण पढा गया। वर्ष 2014 की किसी भी बैठक के कार्यवाही विवरण में उक्त मिसल संख्या 321/2014–15 का अंकन होना नहीं पाया गया।

इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि ज़ैर आलोच्य पट्टे के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 158 तक की प्रक्रिया की पालना किए बिना ही उक्त पट्टा जारी कर दिया गया है। आपत्ति इश्तिहार निलामी समिति या प्राईवेट बातचीत एवं राशि निर्धारण इत्यादि प्रक्रियात्मक बाध्यताओं की पालना किए बिना ही सरपंच एवं ग्राम सचिव के हस्ताक्षर से जारी ऐसा विक्रय अवैधानिक एवं शून्यकरणीय है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, प.स. बाली द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती अनुराधा पत्नि श्री प्रद्युम्न के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 05.11.2014 बमाप 1250 फुट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 23/2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बारवा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

(मिसल संख्या 321/2014–15 एवं प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.11.2014) निरस्त किया जाता है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा.प. बारवा को निर्देशित किया जाता है कि मूल पट्टा बुक संख्या 94 में सलंग्न उक्त पट्टे की कार्यालय प्रति पर लाल स्याही से क्रॉस लाईन एवं 'निरस्त' का अंकन करे।

साथ ही, विकास अधिकारी, प.स. बाली को निर्देश दिए जाते है कि आबादी भूमि की उपरोक्त अवैधानिक तरीके से बंदरबांट कर पंचायत के राजकोष को हानि कारित करने वाले तत्कालीन सरंपच एवं ग्राम सचिव के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कर एक माह के भीतर न्यायालय हाजा को पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

CamScanner